



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23112021-231313
CG-DL-E-23112021-231313

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 671]
No. 671]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 23, 2021/अग्रहायण 2, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 23, 2021/AGRAHAYANA 2, 1943

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2021

सा.का.नि. 830(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 35 की उपधारा (2) के खंड (घ ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण समूह "ग" पद भर्ती नियम, 2017 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण समूह "ग" पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2021 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिग्रहण समूह "ग" पद भर्ती नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) की अनुसूची में स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी) के पद संख्या से संबंधित क्रम संख्या 5 के स्तंभ (2) में, "05(2017)" अंक के स्थान पर, "1*(2021)" अंक रखा जाएगा;
- अनुसूची में क्रम संख्या 6 के पश्चात्, क्रम संख्या 7. और क्रम संख्या 8. रखा जाएगा:-

1	2	3	4	5	6	7
7.स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी-II	2* (2021) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अराजपत्रित अनुसूचिकीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4(25500-81100रु.)	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (19900-63200रु.) में ऐसे स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी) जिन्होंने उस श्रेणी में नौ वर्ष नियमित सेवा की है और जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यावसायिक परीक्षण उत्तीर्ण किया हो।	समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. रजिस्ट्रार या सलाहकार, दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण अध्यक्ष; 2. निदेशक या संयुक्त सलाहकार, दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण-सदस्य; 3. उप रजिस्ट्रार, दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण या उप सचिव, दूरसंचार विभाग-सदस्य।	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
8.स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-I)	2* (2021) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अराजपत्रित अनुसूचिकीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5(29200-92300रु.)	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100 रु.) में ऐसे स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी -II) जिन्होंने उस श्रेणी में छ वर्ष नियमित सेवा की है और जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यावसायिक परीक्षण उत्तीर्ण किया हो।	समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. रजिस्ट्रार या सलाहकार, दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण अध्यक्ष; 2. निदेशक या संयुक्त सलाहकार, दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण-सदस्य; 3. उप रजिस्ट्रार, दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण या उप सचिव, दूरसंचार विभाग-सदस्य।	लागू नहीं होता

[फा.सं. 15-02/2021-पुनर्गठन]

सुं बालचन्द्र अय्यर, उप महानिदेशक (सम० एवं प्रशा०)

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 842(अ) द्वारा दिनांक 5 जुलाई, 2017 को प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF COMMUNICATIONS**(Department of Telecommunications)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th November, 2021

G.S.R. 830(E).—In exercise of the powers conferred by clause (dc) of sub-section (2) of Section 35 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal Group 'C' posts Recruitment Rules, 2017:-

- Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal Group 'C' posts Recruitment (Amendment) Rules, 2021.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In the Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal Group 'C' posts Recruitment Rules, 2017 (hereinafter referred as the said rules), in the Schedule, at serial No. 5, in column (2) relating to the number of posts of Staff Car Driver (Ordinary Grade), for the figure "5 (2017)", the figure "1 (2021)" shall be substituted;
- In the said Schedule, after serial No. 6, the serial No. 7 and 8 shall be substituted:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7. Staff Car Driver (Grade-II)	2 * (2021) * Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level 4 in pay matrix (Rs. 25500-81100)	Non-selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable.	Not applicable

(10)	(11)	(12)	(13)
Promotion	Promotion: Staff Car Driver (Ordinary Grade) in level 2 of the pay matrix (Rs. 19900-63200) with nine years of regular service in the grade and have passed the trade test, specified by the Government.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: - 1. Registrar or Advisor, Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal – Chairman; 2. Director or Joint Advisor, Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal – Member.; 3. Deputy Registrar, Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal or Deputy Secretary, Department of Telecommunications – Member.	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8. Staff Car Driver (Grade-I)	2 * (2021) * Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level 5 in pay matrix (Rs. 29200-92300)	Non-selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable.	Not applicable

(10)	(11)	(12)	(13)
Promotion	Promotion: Staff Car Driver (Grade-II) in level 4 in pay matrix (Rs. 25500-81100) with six years of regular service in the grade or with a combined service of fifteen years in Staff Car Driver Grade-II and Staff Car Driver (Ordinary Grade); and have passed the trade test, specified by the Government.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: - 1. Registrar or Advisor, Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal – Chairman; 2. Director or Joint Advisor, Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal – Member.; 3. Deputy Registrar, Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal or Deputy Secretary, Department of Telecommunications – Member.	Not applicable

[F.No.15-02/2021-Restg.]

S. BALACHANDRA IYER, Dy. Dir. General (C & A)

Note: The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3(i), vide notification number G.S.R. 842 (E) dated the 5th July, 2017.